भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4432

दिनांक 12 अगस्त, 2016 को उत्तर के लिए

बाल कलाकारों का शोषण

4432. श्री रामसिंह राठवाः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या टीवी चैनलों के नृत्य एवं अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों और फिल्मों में बच्चों का शोषण किया जा रहा है और उन्हें स्वाभाविक बाल्यजीवन से वंचित रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में दर्ज शिकायतों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति बनायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा राज **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

(क) और (ख) : राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (2016-17) के दौरान टीवी/रियलिटी शो में बच्चों की भागीदारी की तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) और (घ) : एनसीपीसीआर ने टीवी सीरियलों, रियलिटी शोज़ एवं विज्ञापनों में बच्चों की भागीदारी को विनियमित करने के लिए वर्ष 2010-11 में दिशानिर्देश तैयार किए हैं । ये दिशानिर्देश एनसीपीसीआर की वेबसाइट **www/ncpcr.gov.in** और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट **www.mib.nic.in.** पर उपलब्ध है ।

*****